2.4 A Delivery Post Office in Urban Area should have a minimum of 7 Postmen's beats.

मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों के आतंक को रोकने के लिए किया गया व्यय

*694. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1988-89 से 1994-95 तक जंगली हाथियों के आतंक को रोकने के लिए वर्ष वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) जंगली हाथियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा कितने परिवारों को किस दर से क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान जंगली हाथियों को पकड़ने और उन्हें पालतू बनाने पर कितनी राशि खर्च की गई तथा इन हाथियों के पकड़े जाने के पश्चात उनकी देखभाल तथा खान-पान पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) मध्य प्रदेश को जंगली हाथियों के आतंक से मुक्त कराने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हाथी परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मंजूर निम्नलिखित राशि खर्च करके मध्यप्रदेश राज्य में जंगली हाथियों की समस्या से निपटा गया:-

1988-89 से 1992-93	शून्य
1993-94	17.924 लाख रुपए
1994-95	34.15 लाख रुपए

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1988-89 तथा 1993-94 के बीच, इस समस्या से सफलतापूर्वक निपटने से पहले 42 व्यक्ति मारे गए थे, फसल और सम्पत्ति को हुई क्षति के 6516 मामले सूचित किए गए थे तथा मुआवजे के रूप में 64.42 लाख (लगभग) रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। प्रभावित परिवारों की संख्या के बारे में सूचना का संकलन इस मंत्रालय में नहीं किया जाता है। मध्यप्रदेश में जंगली हाथियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों को अनुग्रह राशि राहत का भुगतान प्रति मामला 10,000/- रुपए की दर से किया गया था। सम्पत्ति की क्षति के लिए मुआवजे की कोई निश्चित दर नहीं है।

(ग) सरगुजा में जंगली हाथियों को पकड़ने पर 21.37 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा, दिसम्बर, 1993 में पकड़े गए हाथियों के प्रशिक्षण पर 18.09 लाख रुपए खर्च किए गए। हाथियों को पकड़ने के बाद के वर्ष के दौरान बन्दी अवस्था में हाथियों की देखभाल पर 2.78 लाख रुपए तथा पकड़े गए हाथियों के भोजन पर 9.83 लाख रुपए खर्च किए गए।

(घ) मध्यप्रदेश में जंगली हाथियों की आवासीय आबादी नहीं है। इन हाथियों को पकड़े जाने के बाद मध्यप्रदेश से इनके आतंक की कोई और सूचना नहीं मिली है।

शिमला रेलवे स्टेशन का स्थानांतरण

*695. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिमला रेलवे स्टेशन शहर के बस अड्डे से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसके फलस्वरूप शिमला शहर जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख): क्या यह सच है कि रेलवे का माल गोदाम शिमला बस अड्डे के बिल्कुल साथ है जहां रेल लाइन, शैड इत्यादि बने हुए हैं;

(ग) क्या सरकार रेलवे स्टेशन को गोदाम स्थल पर ले जाने पर विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी के. जाफ़र शरीफ़): (क) शिमला रेलवे स्टेशन और सिटी बस स्टैंड के बीच लगभग 1 कि.मी. की दूरी है। इस संबंध में शिमला जाने वाले यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती है।

(ख) जी हां, तथापि, शिमला रेलवे स्टेशन और माल शेड के बीच केवल एक रेलपथ है तथा माल डिब्बों की सफलाई के लिए माल शेड क्षेत्र में दो स्कंध हैं। मौजूदा माल शेड में यात्री यातायात सम्हालने के लिए कोई अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मौजूदा स्थल जहां शिमला रेलवे स्टेशन स्थित है, सर्वथा उपयुक्त है, इसके अलावा, मौजूदा माल शेड क्षेत्र में माल तथा यात्री यातायात नहीं सम्हाला जा सकता।